



Rectd/103/16/अजमेर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>श्री मती मोहनी देवी / श्री आबनकारी हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकमकी तामील में जारी हुए</p>
<p>6.1.17</p>	<p><u>D.B.</u> श्री मदन लाल - सदस्य श्री राजीव चौधरी - सदस्य वकील प्राची श्री नीलकण्ठ तथा वि.पू. श्री अरुण के. द्वारा D.A. प्रस्तुत / इकाय सं. श्री आबनकारी शेखर/मकरान् प्राचनपत्र पर अर्ज शुनी अर्ज / प्रथम दृष्टतया सुविधा संतुल्य प्राची के पत्र में उतीत होने से शेखरी. प्रा. पत्र सं. 103/16/अजमेर को रोक कर किया जाता है प्रमा मूल इमील आबकारी सं. 975/2009/अजमेर को पुनः जम्बर पर लिखा जाता है मूल इमील आब. 975/2009 दि. 17.2.2017 को DB के समक्ष पेश है। विजय सुनाया गया। <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p> </div> </div> </p>	